अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

गैंगेस्टर सत्र वाद संख्या–1296/2021
राज्य बनाम सनी उर्फ प्रवीन व अन्य

05–10–2024

पत्रावली पेश हुई।

अभियुक्त सतीश चन्द का हाजिरी माफी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत। सुना, स्वीकृत।

अभियुक्त नेत्रपाल व शिव कुमार मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये।

अभियोजन साक्षी किशन कुमार सिंघल द्वारा न्यायालय के समक्ष पूर्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांकित 17–09–2024 इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्त अशोक कुमार, भूरी देवी व सत्यवीर सिंह के विरूद्ध पूर्व से जारी आदेशिकाओं के अनुसार उनके विरूद्ध आदेशिका जारी किया जाना आवश्यक है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–27102/2017 अशोक कुमार व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 में पारित आदेश दिनांकित 07–12–2017 का निस्तारण दिनांक 10–08–2018 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। जिसके आधार पर उनके विरूद्ध गैर जमानतीय आदेशिका व धारा–82 द0 प्र0 सं0 की आदेशिका जारी किया जाना आवश्यक है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अभियुक्त अनीता शर्मा के बावत वाद की कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 द0 प्र0 सं0 संख्या–15300/2021 अनीता शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 10–02–2022** से मामले की लिस्टिंग की तिथि तक आवेदिका के संदर्भ में वाद की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। जो अभी भी लम्बित है। जिसकी स्टेटस रिपोर्ट आहूत किये जाने के बावजूद भी कोई स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं किया गया है।

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–27102/2017 अशोक कुमार व अन्य बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 07–12–2017 में याचिकाकर्तागण के विरूद्ध उत्पीड़नात्मक कार्यवाही से निषेधित किये जाने का आदेश पारित किया गया है। तत्पश्चात दिनांक 10–07–2018 को उपरोक्त याचिका का अंतिमतः निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया गया है।

इसी प्रकार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत **धारा–482 द0 प्र0 सं0 संख्या–23235/2022 सनी उर्फ प्रवीन शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य** में पारित आदेश दिनांकित 15–12–2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अंतरिम आदेश को प्रभावी होने पर उसे लिस्टिंग की तिथि तक प्रभावी किया गया है।

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–10612/2016 प्रवीन शर्मा उर्फ सनी बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 11–05–2016 को लिस्टिंग की अग्रिम तिथि या पुलिस रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–173 द0 प्र0 सं0 में से बाद की स्थिति तक अभियुक्त को गिरफतार किये जाने से निषेधित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–23333/2017 नेत्रपाल बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 06–11–2017 को लिस्टिंग की अग्रिम तिथि या पुलिस रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–173 द0 प्र0 सं0 में से बाद की स्थिति तक अभियुक्त को गिरफतार किये जाने से निषेधित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

दांडिक प्रकीर्ण रिट याचिका संख्या–21219/2017 सत्यवीर बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 09–10–2017 को लिस्टिंग की अग्रिम तिथि या पुलिस रिपोर्ट अन्तर्गत धारा–173 द0 प्र0 सं0 में से बाद की स्थिति तक अभियुक्त को गिरफतार किये जाने से निषेधित किये जाने का आदेश पारित किया गया है।

अपर जनपद एवं सत्र न्यायालय /विशेष न्यायालय (उत्तर प्रदेश गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रिया–कलाप निवारण अधिनियम 1986), कक्ष सं0–4, अलीगढ़

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि मुकदमा अपराध संख्या–186/2016 धारा–2/3 गैंगेस्टर एक्ट में विवेचक द्वारा विवेचना पूर्ण करते हुए 1–**शिव कुमार शर्मा, 2–श्रीमती अनीता शर्मा, 3–सनी उर्फ प्रवीन, 4–श्रीमती भूरी देवी उर्फ भूरिया उर्फ मंजू, 5–अशोक कुमार, 6–सत्यवीर सिंह, 7–सतीश चन्द व 8–नेत्रपाल** के विरूद्ध धारा–2/3 गैंगेस्टर एक्ट का अपराध प्रमाणित पाते हुए आरोप प्रस्तुत किये जाने पर न्यायालय द्वारा दिनांक 12–07–2021 को आरोप पत्र पर संज्ञान लिया जा चुका है।

जिसमें से अभियुक्त अनीता के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय द्वारा **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–482 द0 प्र0 सं0 संख्या–15300/2021 अनीता शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 10–02–2022** से मामले की लिस्टिंग की तिथि तक आवेदिका के संदर्भ में वाद की कार्यवाही को स्थगित किया गया है। जो अभी भी लम्बित है।

अभियुक्त सनी उर्फ प्रवीन शर्मा के बावत अन्तर्गत धारा–482 द0 प्र0 सं0 संख्या–23235/2022 सनी उर्फ प्रवीन शर्मा बनाम स्टेट आफ यू0 पी0 व अन्य में पारित आदेश दिनांकित 15–12–2022 के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अंतरिम आदेश को प्रभावी होने पर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उसे लिस्टिंग की तिथि तक प्रभावी किया गया है।

इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अभियुक्त **शिव कुमार शर्मा, श्रीमती भूरी देवी उर्फ भूरिया उर्फ मंजू, अशोक कुमार, सत्यवीर सिंह, सतीश चन्द** के विरूद्ध पत्रावली पर उनके संदर्भ का कार्यवाही के स्थगन का कोई आदेश संलग्न नहीं है।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर अभियुक्तगण **श्रीमती भूरी देवी उर्फ भूरिया उर्फ मंजू, अशोक कुमार, सत्यवीर सिंह** के विरूद्ध गैर जमानीय वारण्ट की आदेशिका जारी हों।

तदनुसार पत्रावली वास्ते इंतजार नतीजा बावत अभियुक्त सनी उर्फ प्रवीन शर्मा व अभियुक्ता अनीता/हाजिरी मुल्जिम दिनांक **08–11–2024** को पेश हो।

(संजय कुमार यादव–प्रथम)
अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (गैगस्टर एक्ट),
कक्ष संख्या–04, अलीगढ

Digitally signed by SANJAY KUMAR YADAV
Date: 2024.10.05 16:56:15 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court